

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

क्रमांक: 773

दिनांक: 30.07.2026

रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश-अगस्त-2026

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं हेमन्त जानू, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर, माह अगस्त-2026 में पड़ने वाले अवकाश दिवसों पर सीकर जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थाना क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों, जैसे न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन, जमानत प्रार्थना-पत्र तथा अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के निष्पादन एवं सुनवाई हेतु निम्नलिखित पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवकाश दिवसों के लिए अधिकृत करता हूँ:

क्र.सं.	पीठासीन अधिकारी	पदनाम	अवकाश दिनांक
1.	सुश्री अन्नपूर्णा	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन.आई.एक्ट) प्रकरण, सीकर	02 अगस्त, 2026
2.	सुश्री रीतिका डागा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर	08 व 09 अगस्त, 2026
3.	सुश्री मानसी शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, सीकर	15 अगस्त, 2026
4.	श्रीमति शुभांगिनी चौहान	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, सीकर	16 अगस्त, 2026
5.	श्री हेमन्त मेहरा	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, कुडली	22, व 23 अगस्त, 2026
6.	श्रीमती करीना काला	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, सीकर	26 अगस्त, 2026
7.	सुश्री अन्नपूर्णा	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन.आई.एक्ट) प्रकरण, सीकर	28 अगस्त, 2026
8.	श्री प्रशांत पूनिया	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 सीकर	30 अगस्त, 2026

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश-

- न्यायालय उपस्थिति: सभी नामित अधिकारी अवकाश के दिनों में प्रातः 11:30 AM से 2:00 PM तक अनिवार्य रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- आकस्मिक अवकाश: यदि कोई अधिकारी किसी अपरिहार्य कारण से ड्यूटी करने में असमर्थ है, तो वे किसी अन्य अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे। संशोधित आदेश जारी होने के बाद ही कार्यभार हस्तांतरित होगा।
- अतिरिक्त अवकाश: यदि निर्धारित तिथि के अगले दिन भी राजकीय अवकाश घोषित होता है, तो वही अधिकारी ड्यूटी जारी रखेंगे जो पूर्व निर्धारित तिथि हेतु नियुक्त थे।
- मुल्जिम पेशी: सुरक्षा की दृष्टि से मुल्जिम को अधिकारी के निवास स्थान के भीतर प्रवेश न कराकर बाहर ही रखा जाएगा और मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही होगी।
- प्रोटोकॉल ड्यूटी: अवकाश के दौरान आने वाले माननीय न्यायाधीशों के लिए प्रोटोकॉल संबंधी कार्य भी संबंधित ड्यूटी अधिकारी द्वारा ही किए जाएंगे।

(हेमन्त जानू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीकर (राज.)
सीकर (राज.)

क्रमांक: 774-785

दिनांक: 30.07.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर।
2. श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर।
3. संबंधित अधिकारी/न्यायालय।
4. पुलिस अधीक्षक महोदय, सीकर, को समस्त थानाधिकारियों को निर्धारित समयावधि में मुलजिम्हों को न्यायालय में पेश करने हेतु पाबंद करने बाबत ।
5. उप-निदेशक, अभियोजन विभाग, सीकर।
6. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय, सीकर।
7. प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय, सीकर।
8. अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, सीकर।
9. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, सीकर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने बाबत।
10. जिला कारागृह, सीकर।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर—समस्त पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को ई-मेल प्रेषित कर जिला न्यायालय, सीकर की वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
12. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

(हेमन्त जग्गू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)